# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

**(प्रथम सूचना रिपोर्ट )**
**अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.**

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0244 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/08/2026 12:15 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 24/08/2026

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:13 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/08/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/08/2026 12:15:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 08 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY KANISHTH ABHIYANTA SUB STATION, RAMGANJ JVVNL JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VISHAL SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MAHENDRA SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | 103, NEW GARD COLONY, PHULERA, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | 103, NEW GARD COLONY, PHULERA, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOJ KUMAR | | पिता:MANENDRA PRASAD VIDYARTHI | 1. FLET NO. B-1104,VARDHMAN PALACE,GANDHIPATH, VAISHALINAGAR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 3,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

निवेदन है कि दिनांक 12.08.2026 को श्री मनोज कुमार गुप्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाया तथा वहां पर बैठे एक व्यक्ति नाम श्री विशाल सिंह होना बताया है तथा श्री विशाल सिंह द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिया जाकर प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री विशाल सिंह को मय प्रार्थना पत्र के साथ लेकर मेरे कक्ष में आया।श्री विशाल सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेवामें श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर। विषयः रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ क्रायवाही करने बाबत। महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं विशाल सिंह सोलर रिधम एनर्जी सोलयूशन प्राईवेट लिमिटेड में कार्य करता हूं मेरी कम्पनी के द्वारा श्रीमति सीतादेवी निवासी 15 देशभूषण नगर गलता के निवास स्थान पर 10 KW का सोलर लगान कि प्रक्रिया मेरी कम्पनी के पास है उक्त पते पर वर्तमान में 3 KW का लोड बिजली विभाग से मिल खा है। परन्तु अब 10 किलोवाट सोलर लगाने में ओर ज्यादा बिजली लोड की आवश्यकता पड रही है। बिजली विभाग से लोड क्षमता बढाने के लिये सितादेवी ने हमारी कम्पनी को अधिकृत किया हुआ है। लोड भडोने के लिये एक ओनलाईन आवेदन दिनांक -06-08-2026 को कार्यालय AEN E-11रामगंज में किया गया जिसकी अग्रिम जानकारी के लिये में कार्यालय में गया तो कार्यालय में उपस्थित मनोज जी वहा JEN है। उन्होंने मुझसे इस काम के एवज में 5000/- रूपये मांगे जो में उन्हें नहीं देना चाहता हूं। तथा में इन्हें रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं मेरा इनसे पूर्वमें कोई लेन देन बकाया नहीं है नाही कोई रंजिश है। प्रार्थी विशाल सिंह S/O श्री महेन्द्र सिंह 103 New Gurad Colony Phulera दिनांक 12.08.2026, इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री विशाल सिंह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति व श्रीमती सीता देवी द्वारा दिया गया अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया। परिवादी श्री विशाल सिंह से मजीद दरियाप्त करने पर परिवादी श्री विशाल सिंह ने बताया कि श्रीमती सीतादेवी ने उसके घरेलु विद्युत कनेक्शन का लोड बढवाने के लिए बिजली विभाग में होने वाली सारी प्रक्रिया के लिए सोलर रिधम एनर्जी सोल्यूशन प्रा.लि. को अधिकृत कर रखा है तथा कम्पनी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि मुझे नियुक्त किया हुआ है। इसलिए मैं इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता श्री मनोज कुमार से मिला तो वह इस कार्य को करने की एवज में मेरे से 5000 रूपये की रिश्वत मांग रहे है। प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों एवं मजीद दरियाप्त से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग करना पाया जाता है। जिसके लिए परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिष्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना है इसलिए श्री उदय शर्मा कानि.170 को बुलाया जाकर परिवादी विशाल सिंह से परिचय करवाया गया तथा उदय शर्मा कानि. से कार्यालय की अलमारी में से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया की समझाईश कर विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित करनया मेमोरी कार्ड Consistent High speed Series microsd Card कम्पनी का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगाकर परिवादी को सुपुर्द किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त होने पर उदय शर्मा को निर्देश दिये कि बाद सत्यापन के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रख देना। तत्पश्चात परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री उदय शर्मा कानि के साथ मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु समय करीब 02.10 पीएम पर रवाना किया गया। इसके पश्चात दिनांक 12.08.2026 व दिनांक 13.08.2026 को मांग सत्यापन हेतु परिवादी मय श्री उदय कानि को भेजा गया परन्तु आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता के नहीं मिलने पर वार्ता नहीं हो पाई। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2026 को मांग सत्यापन करवाने पर आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता के द्वारा परिवादी श्री विशाल सिंह से 5000 रूपये की मांग करने पर 3000-4000 रूपये पर सहमति हुई। जिस पर दिनांक 24.08.2026 को परिवादी के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री महेश सारवान व श्री कमलचन्द उमरवाल को तलब करने पर उक्त गवाहन के ब्यूरों कार्यालय पर आने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री महेश सारवान हाल कनिष्ठ सहायक मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर व दुसरे ने अपना नाम श्री कमलचन्द उमरवाल हाल पर्चा वितरक कम सर्वेयर, मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर होना बताया। परिवादी श्री विशाल सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री महेश सारवान व श्री कमल उमरवालसे

आपस में परिचय करवाया तथा इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से टै्रप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिखाये व पढवाये जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि जब मै रास्ते में आ रहा था तब श्री मनोज जेईएन का मेरे पास फोन आ रहा था परन्तु मैने उससे बात नहीं की है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से बात करने के लिए कहा तो परिवादी ने स्वयं के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध अधिकारी श्री मनोज जेईएन के मोबाईल नम्बर पर समय 01.24 पीएम पर बात की तो उसने कहा कि आप आये नहीं तो मैने कहा कि सर मै एक घन्टे में आता हू। तो उन्होने कहा कि आ जाओं मै कार्यालय में ही हू। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उच्चाधिकारियें को अवगत कराने पर निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात समय करीब 01.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री विशाल सिंह को संदिग्ध अधिकारी श्री मनोज जेईएन कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल रामगंज जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मु्रदा के 500-500 रूपये के 06 नोट कुल राशि 3,000/-रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा पेषशुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री प्रवीण कुमार कानि. नं. 222 ज.न. तृतीय जयपुर से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच-पांच सौ रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री प्रवीण कुमार कानि. नं. 222 ज.न. तृतीय जयपुर से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री विशाल सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री महेश सारवान से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। इसके बाद श्री प्रवीण कुमार कानि. नं. 222 से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगे हुए 3,000/- रूपये के नोटों परिवादी श्री विशाल सिंह की पहनी हुई शर्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट संदिग्धो को देवें। परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बताया कि आरोपी के द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी एवं स्वतंत्र गवाहान को निर्धारित ईशारा करें। स्वतन्त्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी व सहपरिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व संदिग्धों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को फिनोल्पथैलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री प्रवीण कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान, परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात श्री प्रवीण कानि से गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री प्रवीण कानि. से फिनोल्पथलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री प्रवीण कानि. के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयो को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के ग्लास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। पूर्व में मांग सत्यापन के दौरान प्रयोग में लिए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को श्री उदय शर्मा कानि को सुपुर्द कर परिवादी के साथ रहने तथा रिश्वत लेन-देन से पूर्व परिवादी को चालू कर सुपुर्द करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई।उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया व श्री प्रवीण कुमार कानि. नं. 222 को कार्यालय में ही छोडा गया। तत्पश्चात समय करीब 02.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक रामजीलाल मय श्री मनोज कुमार अति. पुलिस अधीक्षक, श्री आलोक कुमार स.उ.नि., श्री विशाल बाछल वरिष्ठ सहायक, श्री हवा सिंह है.कानि., श्री उदय शर्मा कानि न, श्री सरदार सिंह कानि., श्री ओमप्रकाश कानि, श्री अजय कुमार कानि., श्रीमती नीलम चमोली कानि. नं., स्वतंत्र गवाहान श्री महेश सारवान व श्री कमलचन्द एवं परिवादी श्री विशाल सिंह,मय लैपटॉप प्रिन्टर मय टै्रप बॉक्स मय अन्य सामग्री के मय सरकारी वाहन मय चालक श्री मनेश कुमार व बिरजू के एसीबी कार्यालय से कार्यालय कनिष्ठ

अभियंता जेवीवीएनएल रामगंज जयपुर के लिए रवाना होकर समय करीब. 03.00 पीएम रामगंज चौपड जयपुर पहुचें। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने वाहनों को साईड में खडा करवाया तथा परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर रवाना करने का निर्देश श्री उदय शर्मा को देने पर श्री उदय शर्मा कानि ने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को समय लगभग 03.02 पीएम पर चालू कर कार्यालय जेवीवीएनएल सब-स्टेशन रामगंज जयपुर के लिए रवाना किया व श्री उदय शर्मा कानि व दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के आस पास गोपनीयता बनाये रखते हुऐ पीछे पीछे रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रैप पार्टी सदस्यों के सब-स्टेशन कार्यालय के आस पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकिम हुऐ। तत्पश्चात समय करीब 03.13 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री उदय कानि ने दूर से ईशारा कर बुलाया इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर कार्यालय सब स्टेशन जेवीवीएनएल रामगंज जयपुर गेट पर पहुंचा, जहां परिवादी विशाल सिंह उपस्थित मिला, परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा उदय कानि. ने मुझे बताया कि परिवादी श्री विशाल सिंह मुझे सब स्टेशन रामगंज जयपुर के गेट के बाहर मिला तथा मुझे कहा कि 3000 रूपए उपर की जेब में रख लिए है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री विशाल सिंह ने बताया कि श्री मनोज कुमार मुझे कार्यालय में मिले, जिन्होंने मेरे 3,000 रूपए की रिश्वत राशि अपने दाएं हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी साईड की जेब में रख लिए है। इसके पश्चात मैंने बाहर आकर श्री उदय शर्मा कानि. को बता दिया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान को साथ लेकर परिवादी के बताए अनुसार बिजली विभाग कार्यालय सब स्टेशन रामगंज जयपुर में प्रवेश किया, जहां पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ मिला, जिसकी तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता सब स्टेशन रामगंज, जयपुर है जिन्होंने अभी अभी मेरे से 3000 रूपए अपने दांहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में रख लिए है। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम मनोज कुमार पुत्र श्री मनेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी, उम्र 35 साल, पेशा नौकरी, निवासी फ्लेट नंबर बी- 1104, वर्धमान पैलेस, गांधीपथ, वैशालीनगर जयपुर मूल निवासी ग्राम प्रेमा बीगहा, पोस्ट पालीगंज, पुलिस थाना पालीगंज, जिला पटना, बिहार हाल कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन जेवीवीएनएल रामगंज जयपुरहोना बताया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता से परिवादी श्री विशाल सिंह से 3,000/- रूपए की रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी मनेज कुमार घबरा गया तथा पुनः मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी मनोज कुमार को तसल्ली देकर पुछा तो बताया कि विशाल सिंह की सोलर कंपनी से संबंधित एक पत्रावली जो श्रीमती सीतादेवी के आवासीय सोलर का लोड बढाए जाने बाबत है, जिसको मैंने आगे फारवर्ड कर दिया है तथा विशाल सिंह ने अपनी मर्जी से 3000 रूपए मेरी शर्ट की जेब में रखे है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री विशाल सिंह ने आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता की कही बातो का खण्डन करते हुए पूर्व में कही बातो की ताईद करते हुए बताया कि हमारी कंपनीसोलर रिधम एनर्जी सोलयूशनप्राईवेटलिमिटेड है, जो सोलर लगाने का कार्य करती है। कम्पनी के द्वारा श्रीमती सीतादेवी निवासी 15 देशभूषण नगर गलता के निवास स्थान पर 10 KW का सोलर लगाने कि प्रक्रिया मेरी कम्पनी के पास है उक्त पते पर वर्तमान में 3 KW कालोड बिजली विभाग से मिल रखा है। परन्तु अब 10 किलोवाट सोलर लगाने में और ज्यादा बिजली लोड की आवश्यकता पड रही है। बिजली विभाग से लोड क्षमता बढाने के लिये सीतादेवी ने हमारी कम्पनी को अधिकृत किया हुआ है । लोड बढाने के लिये एक ऑनलाईन आवेदन कार्यालय AEN E-11 रामगंज में किया गया जिसकी अग्रीम जानकारी के लिये मैं कार्यालय में मनोज जी JEN से मिला तो उन्होंने मेरे से इस काम के एवज में 5000/- रूपये की मांग करी जिसकी शिकायत मैंने ब्यूरो कार्यालय में किए जाने पर दिनांक 14.08.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री मनोज कुमार 3-4 हजार रूपए में सहमत हुए थे। अपनी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 24.08.2026 को मनोज कुमार जी ने मेरे से 3000 रूपए दांए हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब में रख लिए। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री मनोज कुमार की तलाशी महेश सारवान स्वतंत्र गवाह से लिवाई गई तो आरोपी पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपए के नोट मिले, जिनको गिनवाए जाने पर 500-500 रूपए के 6 नोट कुल राशि 3000/- रूपए होना पाए गए। उक्त नोटो को पूर्व में कार्यालय में बनायी गयी फर्द सुपुर्दगी नोट से दोनों स्वतंत्र गवाहान् से नोटो के नंबर का मिलान करवाया तो हूबहू होना बताया। उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री महेश सारवान के पास सुरक्षित रखवाई गयी तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री विशाल सिंह द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनां स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ बोतल में स्वच्छ पानी भरवाया जाकर दो पारदर्शी नए प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री मनोज कुमार के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा

मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त विधि से ही दूसरे साफ स्वच्छ पानी से भरे साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री मनोज कुमार के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। चूंकि आरोपी श्री मनोज कुमार के द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी शर्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिया इसलिए आरोपी श्री मनोज कुमार की पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब जहां रिश्वत राशि रखी गयी उसका धोवन लिये जाने हेतु आरोपी की शर्ट को सम्मानपूर्वक उतरवाया जाकर, उपरोक्त विधि अनुसार साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल में स्वच्छ पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता के शर्ट की उपर की बांयी साईड की जेब को उल्टा कर उक्त मिश्रण में डुबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क S-1 व S-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात उक्त शर्ट की जेब को सुखाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाया गया तथा मार्क S अंकित किया जाकर कब्जे एसीबी लिए गए। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री महेश सारवान के पास सुरक्षित रखे 500-500 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के 6 नोटों को पुनः पूर्व में बनायी गई फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट से नंबरो का मिलान करवाया गया तो हुबहू होना पाये गये। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 6 नोट कुल राशि 3,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया।इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने सीतादेवी के आवासीय सोलर से संबंधित पत्रावली बारे में पूछने पर आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता ने उक्त पत्रावली सहायक अभियंता रामगंज स्टेशन जेवीवीएनएल जयपुर में होना बताया। इस संबंध में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सहायक अभियंता रामगंज स्टेशन के नाम सीतादेवी के आवासीय सोलर से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित पत्रावली व आरोपी का सेवा विवरण उपलब्ध करवाने हेतु पत्र दिया गया। उक्त कार्यवाही की वीडीयोग्राफी श्री ओमप्रकाश कानि. 438 से विभागीय कैमरे में नया मेमोरी कार्ड लगाकर बारी बारी से करवाई गई। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता को आवाज नमूना प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता ने अंकित किया कि मै अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हू। उक्त आवाज नमूना नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंताके जरिये फर्द गिरफ्तारी के आधार व जमानत के अधिकारो की सूचना अन्तर्गत धारा 47, 38, 36(ग) व 48 बीएनएसएस से दी गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षकने आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से अपराध से आगह बीएनएस में नियत प्रावधानों के अनुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया। तत्पश्चात परिवादी के कार्य की श्रीमती सीतादेवी की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ पेज संख्या 1 से 20 तक प्रस्तुत की, जिस पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के प्रथम व अन्तिम पेज पर हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात घटनास्थल पर सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात समय करीब 08.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय स्वतंत्र गवाहान मय जब्त शुदा आर्टिकल्स R-1, R-2, L-1, L-2, S-1, S-2, S एवं रिश्वती राशि 3,000 रूपये एवं कब्जा एसीबी लिया गया आरोपी का मोबाईल मय लैपटॉप प्रिन्टर व टै्रप बॉक्स के मय सरकारी वाहन मय चालक के समय करीब 9 पीएम पर एसीबी कार्यालय पहुचे, जहां पर श्री आलोक चन्द्र सहायक उप निरीक्षक मय हमराहियान मय आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता उपस्थित आये तथा आरोपी की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसको बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई तथा जप्तशुदा समस्त आर्टिकल्स को श्री अजय कानि. न. 190 को सुपुर्द कर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.08.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री विशाल सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री महेश सारवान व श्री कमल चन्द उमरवाल की उपस्थिति में परिवादी श्री विशाल सिंह व आरोपी श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता के मध्य दिनांक 14.08.2026 को हुई मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 24.08.2026 को हुई लेन देन वार्ता जो मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया जो कार्यालय की आलमारी से निकालकर कार्यालय के लैपटॉप से जोडकर सुना जाकर तैयार ट्रांसक्रिप्ट से मिलान करवाया गया, वार्ताओ को सुनकर परिवादी श्री विशाल सिंह ने अपनी आवाज एवं दुसरी आवाज श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियंता

की पहचान की तथा उक्त वार्ता रूपान्तरण तैयार करने के बाद 03 खाली नये पैन ड्राईव मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित किया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ता के मैमोरी कार्ड मय कार्ड रीडर को विभागीय लेपटॉप से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ताओ की फाईल्स को बारी-बारी मैमोरी कार्ड से पृथक पृथक 03 पैन ड्राईव में कॉपी/पेस्ट किया गया। वॉईस फाईल्स पैन ड्राईव में सेव होना सुनिश्चित किया जाकर सभी 03 पैन ड्राईव पर मन पुलिस निरीक्षक ने व परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने हस्ताक्षर किये तथा अलग-अलग पैन ड्राईव मार्क A,B,C क्रमशः अंकित किये गये। तत्पश्चात् उक्त मैमोरी कार्ड में उपलब्ध वॉईस फाईल्स का एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रिन्ट लिया जाकर शामिल फर्द किया गया। उपरोक्तानुसार मूल मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव की निकाली गई हैश वैल्यू का मिलान होना पाया गया। उक्त पैन ड्राईव मार्क A (कन्ट्रोल सैम्पल) पैन ड्राईव के कागज के कवर मे रखकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पैन ड्राईव मार्क B (एडीपी कॉपी), मार्क C (अनुसंधान प्रयोजनार्थ) को खुली अवस्था में पत्रावली के संलग्न रखा गया। इसी प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन व लेन देन वार्ता में उपयोग में लिया गया मूल मैमोरी कार्ड को मार्क MC अंकित किया जाकर कागज के कवर में रखकर कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.15 पीएम पर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड जो दिनांक 24.08.2026 को टै्रप कार्यवाही के दौरान वीडीयोग्राफी करने हेतु कार्यवाही में लिया गया, उक्त Consistent High speed Series microsd Card कम्पनी के मेमोरी कार्ड 32 जीबी को कार्यालय के लैपटॉप में जोडकर 03 नये पैन ड्राईव मंगवाया जाकर लैपटॉप की सहायता से अपलोड किया जाकर मार्क X,Y,Z दिया तथा मार्क X,Y को सील्ड किया व मार्क Z को अनुसंधान हेतु खली रखी गई। एफटीके ईमेजर हैश वैल्यू निकाली जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय के एडेप्टर में माइक्रो एसडी/मेमोरी कार्ड को निकालकर कागज के कवर में रख कर सफेद कपडे. की थेली में डालकर सील्ड मोहर मार्क MC-1 अंकित किया गया तथा संबंधितो के हस्ताक्षर करवाए गए। फर्द जप्ती पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने सम्पूर्ण टै्रप कार्यवाही में जब्त किये गये आर्टिकल्स में पीलत की सील प्रयोग में ली गई,उक्त सील की फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मनेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी, उम्र 35 साल, पेशा नौकरी, निवासी फ्लेट नंबर बी-1104, वर्धमान पैलेस, गांधीपथ, वैशालीनगर, जयपुर मूल निवासी ग्राम प्रेमा बीगहा, पोस्ट पालीगंज, पुलिस थाना पालीगंज, जिला पटना, बिहार हाल कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन जेवीवीएनएल रामगंज जयपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री विशाल सिंह की कंपनी सोलर रिधम एनर्जी सोलयूशन प्राईवेट लिमिटेड की कस्टमर श्रीमती सीतादेवी के आवासीय कनेक्शन पर 10 किलोवाट सोलर लगाने में बिजली विभाग से लोड क्षमता बढाने की एवज में 5,000/- रूपए की मांग करने पर दिनांक 14.08.2026 को मांग सत्यापन के दौरान 3-4 हजार रूपए में सहमत होना व अपनी मांग के अनुशरण में दिनांक 24.08.2026 को रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान 3,000 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना व आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी साईड की जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से आरोपी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मनेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी, उम्र 35 साल, पेशा नौकरी, निवासी फ्लेट नंबर बी- 1104, वर्धमान पैलेस, गांधीपथ, वैशालीनगर, जयपुर मूल निवासी ग्राम प्रेमा बीगहा, पोस्ट पालीगंज, पुलिस थाना पालीगंज, जिला पटना, बिहार हाल कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन जेवीवीएनएल रामगंज जयपुर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है। (रामजीलाल) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामजीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मनेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी, उम्र 35 साल, पेशा नौकरी, निवासी फ्लेट नंबर बी-1104, वर्धमान पैलेस, गांधीपथ, वैशालीनगर, जयपुर मूल निवासी ग्राम प्रेमा बीगहा, पोस्ट पालीगंज, पुलिस थाना पालीगंज, जिला पटना, बिहार हाल कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन जेवीवीएनएल रामगंज जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती शीला मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 447 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1412-15 दिनांक 27.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01, जयपुर 2- SECRETARY(ADMINISTRATION), J.V.V.N.L. JAIPUR 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** SHEELA MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/08/2026 12:17:31

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GORDHAN LAL SONKARIA
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1991 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)**